न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश,द्वितीय्,सह विशेष न्यायाधीश,उत्पाद,समस्तीपुर।

बंगरा थाना काण्ड सं0 76/18, विचारण सं0 2551/20

2.3.20 आवेदक **1. रंजित कुमार सिंह,** की ओर से आत्समर्पण सह जमानत आवेदन साथ वकालतनामा के दाखिल किया गया जिसकी प्रति विद्वान वि0 लोक अभियोजक को भी दी गयी। जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री ठाकुर विक्रम सिंह जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए निवेदन किये कि आवेदक निर्दोष है, उसने कोई अपराध कारित नही किया है। उसके विरूद्व लगाया गया आरोप मनगढ़त, असत्य एवं निराधार है। वह पूर्व से जमानत पर था। उसने जमानत की सुविधा का कोई दुरूपयोग नही किया है। दि0 5.12.19 को यातायात अवस्द्व होने के कारण वह न्यायालय में नही आ सका, परिणामस्वरूप उसका बंद्व–पत्र खण्डित हो गया। जानकारी होने पर वह स्वयं उपस्थित हुआ है तथा वचन देता है कि भविष्य में इस तरह का गलती नही करेगा। अतः उसे जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

विद्वान वि0 लोक अभियोजक श्री कृष्ण मुरारी प्रसाद द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक पूर्व से जमानत पर था। अभिलेख साक्ष्य हेतु निश्चित था परन्तु दिनांक 5. 12.19 को उसकी अनुपस्थिति के कारण उसका बंद्य–पत्र खण्डित किया गया है। चूँकि आवेदक स्वयं उपस्थित हुआ है।

उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में न्यायहित में आवेदक अभियुक्त को मो0 500/–रू0 परिव्यय शुल्क पर, मो0 दस हजार रू0 के बंद्व–पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभूति दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है कि आवेदक अभियुक्त इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह वाद के निस्तारण तक प्रत्येक निश्चित तिथि को सदेह उपस्थित रहेगा। परिव्यय शुल्क नजारत में जमा किया जाएगा।

लेखापित

अपर सत्र न्या0–2
सह वि0 न्या0उत्पाद